भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4002

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

पेंशन योजनाएं

4002. श्री प्रवीण पटेल:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत पेंशन राशि बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं और क्या यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि सभी पात्र कर्मचारी इसके लाभों से अवगत हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत नामांकित सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए कोई अलग पेंशन योजना शुरू करने का विचार है और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का लोगों को स्वेच्छा से अंशदान करने और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना की घोषणा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस-ट्रेडर्स) के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) जैसी विद्यमान पेंशन योजनाओं को एकीकृत करने का विचार है और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): ईपीएस, 1995 एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि कॉर्पस 15000/-रुपये प्रतिमाह तक के वेतन के लिए (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान से मिलकर बनता है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभ इसी संचय से दिए जाते हैं। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के अनुसार इस निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और 31.03.2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार, इसमें बीमांकिक घाटा है।

जारी..2/-

हालांकि, सरकार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है।

सभी पात्र कामगारों को इसके लाभों की जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ): दिनांक 10.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या 51,36,578 (5,06,603 लाभार्थियों के बल्क पंजीकरण सहित) है।

संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहली बार 'गिग कामगार' और 'प्लेटफ़ॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह संहिता, जीवन बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों में गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगार के लिए समुचित सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है।

*****

अनुबंध

दिनांक 18.08.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4002 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पात्र कामगारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:-

निधि आपके निकट -2.0: निधि आपके निकट देश के सभी जिलों में संगठन की पहुँच और दृश्यता बढ़ाने के लिए, नियमित अंतराल पर, निकट 2.0 का शुभारंभ किया गया। निधि आपके निकट 2.0 एक शिकायत निवारण प्लेटफार्म और ईपीएफओ तथा उसके विभिन्न हितधारकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान का नेटवर्क है। निधि के तहत आपके निकट 2.0 के अंतर्गत ईपीएफओ प्रत्येक माह की 27 तारीख को अथवा अवकाश होने पर अगले दिन जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन कर रहा है।

शिक्षाप्रद वीडियो : अपने हितधारकों को शिक्षित करने के लिए, ईपीएफओ प्रत्येक शुक्रवार शाम 6 बजे यूट्यूब चैनल @socialepfo पर एक लघु फिल्म जारी करता है। उदाहरण के लिए, ईपीएफ योजना और ईपीएफ अग्रिमों के प्रकार, छूट प्राप्त से गैर-छूट प्राप्त में ईपीएफ अंतरण, निधि आपके निकट 2.0 आदि पर वीडियो। ये वीडियो एमएसएमई क्षेत्र सहित हर क्षेत्र के हमारे अभिदाताओं को अपने पीएफ निधि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षित करते हैं। इन वीडियो में सरल ग्राफिक्स और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे कि आम जनता को आसानी से समझ आ जाए।

साप्ताहिक वेबिनार : क्षेत्रीय कार्यालय, ईपीएफओ के विभिन्न हितधारकों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 से संबंधित विषयों पर साप्ताहिक वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। पेंशनभोगी, कर्मचारी और नियोक्ता सहित अन्य हितधारक इन वेबिनारों में भाग लेते हैं।

सोशल मीडिया गतिविधियाँ : सी एंड पीआर प्रभाग को फेसबुक, ट्विटर, पब्लिक ऐप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नियमित रूप से रचनात्मक सामग्री, कार्टून, जीआईएफ और वीडियो पोस्ट करके सोशल मीडिया के माध्यम से हितधारकों को शिक्षित और जागरूक करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। ये रचनात्मक सामग्री संगठन में नई पहलों और नवीनतम विकास के बारे में जागरूकता सृजित करती है।

यूट्यूब लाइव सत्र : ये सत्र हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित किए जाते हैं। इन लाइव सत्रों का उद्देश्य आम जनता को शिक्षित करना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना और हितधारकों से महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त करना है। डिजिटल सेवाएँ, ईपीएस 95, फ्रीज किए गए खाते आदि जैसे विषयों पर लाइव सत्र आयोजित किए गए हैं।

क्षेत्रीय यूट्यूब चैनल : क्षेत्र की स्थानीय भाषा में सूचना के प्रसार को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय यूट्यूब चैनल शुरू किए गए हैं। शैक्षिक सामग्री का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करके क्षेत्रीय यूट्यूब चैनलों पर पोस्ट किया जाता है।

प्रेस विज्ञप्ति: प्रेस विज्ञप्ति हितधारकों के साथ संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। नियमित प्रेस विज्ञप्तियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि ईपीएफओ में नई पहलों और किसी भी बदलाव के बारे में आम जनता और मीडिया को सूचित किया जाए।